उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—1

संख्या 13/5/98 टी० सी०-का-1-1998

लखनऊ, दिनांक 17 अक्टूबर, 1998

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 1998 की (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ० प्र० शासन।

2—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ० प्र०।

3—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।

4—सचिव, राज्यपाल महोदय, उ० प्र०।

5—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ० प्र०।

6—सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद।

7—समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।

8—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इसकी 8000 मुद्रित प्रतियां कार्मिक अनुभाग-1 को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के० एम० लाल,

विशेष सचिव।

क्रम-संख्या —295 (ग)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शनिवार, 17 अक्टूबर, 1998

आश्विन 25, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—1

संख्या 13/5/98/कार्मिक-1-1998

लखनऊ, 17 अक्टूबर, 1998

सा० प० नि०–68

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 1998

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 1998 कही जावेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नये नियम का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में जिसे आगे उक्त

नियमावली कहा गया है, वर्तमान नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 3–क बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"3—क–कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध–

(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्य स्थल पर, उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी हो, उस कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजनों के लिए "यौन उत्पीड़न" में, प्रत्यक्षतः या अन्यथा कामवासना से प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है जैसे कि–

(क) शारीरिक स्पर्श और कामोद्दीप्त प्रणय संबंधी चेष्टाएं,

(ख) यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना,

(ग) काम वासना–प्रेरित फब्तियां,

(घ) किसी कामोत्तेजक कार्य व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या

(ङ) यौन संबंधी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।"

नियम 11 और 15 का प्रतिस्थापन

3—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान नियम 11 और 15 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
11—भेंट–कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो :–	11—भेंट–कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो :–
(क) स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट सम्बन्धी न हो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई भेंट, अनुग्रह धन (gift, gratuity, reward) या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, या	(क) स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, या किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट सम्बन्धी न हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई भेंट, अनुग्रह धन पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, या
(ख) अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को जो उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट संबंधी न हो, कोई भेंट, अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा :	(ख) अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, जो उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट संबंधी न हो, कोई भेंट, अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा :
किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह किसी जातीय मित्र (personal friend) से 51 रुपया या उससे कम मूल्य का एक विवाहोपहार या किसी रीतिक अवसर पर इतने ही मूल्य का एक उपहार स्वीकार कर सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे	किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह किसी जातीय मित्र से, सरकारी कर्मचारी के भूल वेतन का दसांश या उससे कम मूल्य का एक विवाहोपहार या किसी रीतिक अवसर पर इतने ही मूल्य का एक उपहार स्वीकार कर सकता है। या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार

सकता है। किन्तु सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस प्रकार के उपहारों के दिये जाने को भी रोकने का भरसक प्रयत्न करें।

उदाहरण

एक कस्बे के नागरिक यह निश्चय करते हैं कि "क" को, जो एक सब-डिवीजनल अफसर है, बाढ़ के दौरान में उसके द्वारा की गयी सेवाओं के सराहना स्वरूप एक घड़ी भेंट में दी जाय, जिसका मूल्य 51 रु० से अधिक है। सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना "क" उक्त उपहार स्वीकार नहीं कर सकता।

15—असरकारी व्यापार या नौकरी

कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कार-बार में नहीं लगेगा और न कोई नौकरी करेगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना, कोई सामाजिक या धर्मार्थ प्रकार का अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का आकस्मिक (Occasional) कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों में कोई अड़चन नहीं पड़ती है तथा वह ऐसा कार्य, हाथ में लेने से एक महीने के भीतर ही, अपने विभागाध्यक्ष को और यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष हो, तो सरकार को, इस बात की सूचना दे दे, किन्तु यदि सरकार उसे इस प्रकार का कोई आदेश दे तो वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा, और यदि उसने उसे हाथ में ले लिया है, तो बन्द कर देगा।

करने की अनुमति दे सकता है। किन्तु सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस प्रकार के उपहारों को दिये जाने को भी रोकने का भरसक प्रयत्न करें।

उदाहरण

एक कस्बे के नागरिक यह निश्चय करते हैं कि "क" को, जो एक सब-डिवीजनल अफसर है, बाढ़ के दौरान उसके द्वारा की गयी सेवाओं के सराहना स्वरूप एक घड़ी भेंट में दी जाय, जिसका मूल्य उसके मूल वेतन के दसांश से अधिक है। सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना "क" उक्त उपहार स्वीकार नहीं कर सकता है।

15—असरकारी व्यापार या नौकरी

कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कार-बार में नहीं लगेगा और न ही कोई नौकरी करेगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई सामाजिक या धर्मार्थ प्रकार का अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का आकस्मिक कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य के द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों में कोई अड़चन नहीं पड़ती है तथा वह ऐसा कार्य हाथ में लेने से एक महीने के भीतर ही, अपने विभागाध्यक्ष को और यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष हो, तो सरकार को इस बात की सूचना दे दे, किन्तु यदि सरकार उसे इस प्रकार का कोई आदेश दे तो वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा, और यदि उसने उसे हाथ में ले लिया है, तो बन्द कर देगा:

किन्तु अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा असरकारी व्यापार या असरकारी नौकरी हाथ में लेने की दशा में ऐसे व्यापार या नौकरी की सूचना सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार को दी जायेगी।

नियम–22 का संशोधन

4—उक्त नियमावली में नियम–22 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उपनियम (2) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी सिवाय किसी बैंक, सहकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के भीतर रुपया उधार लेगा, और न अन्यथा, अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा, जिससे वह उस व्यक्ति के वित्तीय आभार (Pecuniary obligation) के अन्तर्गत हो जाय, और न वह सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को, इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति देगा :	(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी बैंक, सरकारी समिति या अच्छी साख वाले फ़र्म के साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के भीतर, रुपया उधार लेगा, और न अन्यथा, अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति के वित्तीय आभार के अन्तर्गत हो जाय, और न वह सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को, इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति देगा :
किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, किसी जातीय मित्र (Personal Friend) या संबंधी से, बिना ब्याज वाली एक छोटी रकम का एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक (Bonafide) व्यापारी के साथ उधार-लेखा चला सकता है।	किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी जातीय मित्र या सम्बन्धी से अपने दो माह के मूल वेतन या उससे कम मूल्य का बिना ब्याज वाला एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक (Bonafide) व्यापारी के साथ उधार-लेखा चला सकता है।

नियम–24 का संशोधन

5—उक्त नियमावली में नियम-24 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उप नियम–2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो पांच सौ रुपये से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय, विक्रय के रूप में सम्पादित हो, या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिये :	(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने एक माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय, विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिये :
किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी ख्याति-प्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता (Agent) के साथ या द्वारा, या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा।	किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी ख्याति–प्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता (Agent) के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार,

सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/V/98-Ka-1-1998, dated October 17, 1998 for general information :

No. 13/V/98-Ka-1-1998

Dated Lucknow, October 17, 1998.

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956.

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CONDUCT (AMENDMENT) RULES, 1998

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Conduct (Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force at once.

Insertion of new rule

2. In the Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956, hereinafter referred to as the said rules, *after* existing rule-3 the following new rule 3-A shall be *inserted*, namely:—

"3-A Prohibition of sexual harassment of working women—

(1) No Government Servant shall indulge in any act of sexual harassment of any women at her work place.

(2) Every Government Servant who is incharge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any women at such work place.

Explanation—For the purposes of this rule, "Sexual harassment" includes such unwelcome sexually determined behaviour whether directly or otherwise, as—

(a) physical contact and advances;

(b) demand or request for sexual favours;

(c) sexually coloured remarks;

(d) showing any pornography; or

(e) any other unwelcome physical, verbal or not verbal conduct of sexual nature."

Substitution of rules 11 and 15

3. In the said rules, *for* existing rules 11 and 15 set out in Column-1 below, the rules as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:—

Column-1	**Column-2**
Existing rules	*Rules as hereby substituted*
11. Gifts–A Government servant shall not without previous approval of Government—	11. Gifts–A Government servant shall not without previous approval of Government—
(a) Accept directly or indirectly on his own behalf or on behalf of any other persons, or	(a) Accept directly or indirectly on his own behalf or on behalf of any other persons, or
(b) Permit any member of his family who is dependent on him, to accept,	(b) Permit any member of his family who is dependent on him, to accept,
Any gift, gratuity or reward from any person other than a close relation:	Any gift, gratuity or reward from any person other than a close relation:

	Provided that he may accept or permit any member of his family to accept from a personal friend, a wedding present or a present on a ceremonial occasion, of a value not exceeding Rs. 51. All Government servants shall however use their best endeabour to discourage even the tender of such presents.	Provided that he may accept or permit any member of his family to accept from a personal friend, a wedding present or a present on a ceremonial occasion, of a value not exceeding one tenth of the basic pay of the Government servant. All Government servants shall however use their best endeabour to discourage even the tender of such presents.
	Illustration	**Illustration**
	The citizens of a town decide to present to 'A' a Sub-Divisional Officer, a watch, exceeding Rs. 51 in value in appreciation of the services rendered by him during the flood.	The citizens of a town decide to present to 'A' a Sub-Divisional Officer, a watch, exceeding in value Rs. one tenth of his basic pay in appreciation of the services rendered by him during the flood.
	'A' cannot accept the present without the previous approval of the Government.	'A' cannot accept the present without the previous approval of the Government.
	15. *Private trade or Employment*— No Government servant shall except with the previous sanction of the Government, engage directly or indirectly in any trade, business or under take any employment:	15. *Private trade or employment*— No Government servant shall except with the previous sanction of the Government, engage directly or indirectly in any trade, business or under take any employment:
	Provided that a Government servant may, without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic or scientific character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer and that he informs his Head of Department, and when he is himself the Head of the Department, the Government, within one month of his undertaking, such a work, but he shall not undertake, or shall discountinue, such work if so directed by the Government.	Provided that a Government servant may, without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic or scientific character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer and that he informs his Head of Department, and when he is himself the Head of the Department, the Government, within one month of his undertaking, such a work, but he shall not undertake, or shall discountinue, such work if so directed by the Government.
		Provided further that in case a member of the family of a Government servant undertakes private trade or private employment, the information of such trade or employment shall be given to the Government by the Government servant.

Amendment of rule 22

4. In the said rules, in rule 22, *for* existing sub-rule (2) set out in Column–1 below the sub-rule as set out in Column–2 shall be *Substituted*, namely:—

Column-1	**Column-2**
Existing rules	*Sub-rules as hereby substituted*
(2) No Government servant shall save in the ordinary course of business with a bank, Co-operative Society or a firm, or otherwise place himself under pecuniary	(2) No Government servant shall save in the ordinary course of business with a bank, Co-operative Society or a firm, or otherwise place himself under pecuniary

obligation to any person within the local limits of his authority not shall be permit any member of his family, except with the previous sanction of the appropriate authority, to enter into any such transactions:

Provided that a Government servant may accept a purely temporary loan of small amount free of interest, from a personal friend or relative or operate a credit account with a *bonafide* tradesman.

obligation to any person within the local limits of his authority not shall be permit any member of his family, except with the previous sanction of the appropriate authority, to enter into any such transactions:

Provided that a Government servant may accept a purely temporary loan not exceeding in value the amount of his two months basic pay free of interest, from a personal friend or relative or operate a credit account with a *bonafide* tradesman.

5. In the said rules, in rule 24 *for* existing sub-rule (2) set out in Column–1 below, the sub-rule as set out in Column–2 shall be *substituted*, namley— Amendment of rule 24

Column-1	**Column-2**
Existing rules	*Sub-rules as hereby substituted*
(2) A Government servant who enters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his pay for one month or rupees one thousand, whichever is less, whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority:	(2) A Government servant who enters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his basic pay for one month, whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority:
Provided that no Government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority.	Provided that no Government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority.
Illustration	
(i) A, a Government servant whose monthly pay is rupees six hundred, purchases a taperecorder for rupees seven hundred, or	
(ii) B, a Government servant whose monthly pay is rupees two thousand sells a car for rupees one thousand five hundred.	
In either case A, or B, must report the matter to the appropriate authority. If the transaction is made otherwise than through a reputed dealer he must also obtain the previous sanction of the appropriate authority.	

By order,
SUDHIR KUMAR,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 35 सा० नियुक्ति -1998 -(1466) 8000 -कम्प्यूटर/आफसेट।